Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No.200–2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2016 (AGRAHAYANA 16, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 दिसम्बर, 2016

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)डी.डी.पी.–2021(दादुपुर)/2016/3307.– पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29 अक्तूबर, 2007 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या–सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)वाई.3/एफ.डी.पी./2007/3739, दिनांक 29 अक्तूबर, 2007 द्वारा अधिसूचित दादुपुर के अंतिम विकास योजना, 2021 ए.डी. में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, एस.सी.ओ. संख्या 71–75 (द्वितीय से तृतीय तल), सैक्टर–17 सी, चण्डीगढ़, द्वारा इस योजना के संबंध में लिखित रूप में किसी व्यक्ति से संशोधन प्रारूप के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, प्राप्त किये जाएं, पर विचार करेगी।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या– सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)वाई.3/एफ.डी.पी./2007/3739, दिनांक 29 अक्तूबर, 2007 में,–

अनुबन्ध ख में, 'अंचल विनियम', शीर्ष में –

(क) 'II परिभाषायें' उप–शीर्ष में,–

(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित; ' ;

(ii) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(ख-क) "भवन सहिता" से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2016; ' ;

(iii) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(घ) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के प्लाट क्षेत्र द्वारा कुल आच्छादित क्षेत्र के विभाजन द्वारा प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात् :—

$$\text{फर्श क्षेत्र अनुपात} = \frac{\text{कुल आच्छादित क्षेत्र}}{\text{प्लाट क्षेत्र}}$$

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, छत अनुमानों कैंटिलीवर, अनुमति लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाने यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, स्टीलट क्षेत्र (खुला) पार्किंग तथा पैदल यात्री प्लाजा, खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), अनुमत आकार का खुला आंगन के उपयोग के लिये फर्श क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगा;';

(iv) खण्ड (ड़) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

'(ड़)"वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फलैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;';

(v) खण्ड (थ) में, व्याख्या (2) के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थातः—

"(3) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होगी;';

(vi) खण्ड (फ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(फ) "अटारी" से अभिप्राय होगा, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवशिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;';

(vii) खण्ड (ब) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ब) "परछती तल" से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती मंजिल और ऊपरी मंजिल स्तर 2.3 मीटर से कम नहीं होगा;';

(ख) 'VI केवल सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर' उपशीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप–शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"VI केवल सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर

केवल सरकार अपने द्वारा या उसकी एजेंसियों द्वारा विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती है, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी ।";

(ग) 'VII मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण' शीर्ष में, पैरा (3) के बाद, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थातः—

"(4) व्यापार योग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सेक्टर सड़क या हरित पट्टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध अनुज्ञात किया जा सकता है।";

(घ) 'XI विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकार' शीर्ष में, पैरा (2) में, "वर्ग आवास स्कीम के अधीन न्यूनतम क्षेत्र पांच एकड़ होगा चाहे वह लाईसैंस प्राप्त कालोनी का भाग रूप है अथवा स्वतंत्र रूप से विकसित किया जाता है।" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएगें, अर्थात् :—

"वर्ग आवास कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड रिहायशी विकास के लिये समय–समय पर अधिसूचित पॉलिसियों के अनुसार होंगे।";

(ड.) 'XII विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र/ऊँचाई और आयतन' उप शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"XII विभिन्न प्रकार के भवनों के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र/ऊँचाई और आयतन

विशिष्ट प्लॉट/ स्थान पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता/ नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा शासित होगी। ";

(च) 'XIII भवनों की अगली और पिछली ओर भुजा की ओर भवन पंक्ति' उप शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"XIII भवनों की अगली और पिछली ओर भवन पंक्ति'

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी।";

(छ) 'XIV वास्तुकला संबंधी नियंत्रण' उप–शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप–शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"XIV वास्तुकला संबंधी नियंत्रण':

"जहां भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवश्यक हों, प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2016 के खण्ड 29 के अर्न्तगत बनाये गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा। "।

एस.एस. प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 7th December, 2016

No.CCP(NCR)/DDP-2021(Dadupur)/2016/3307.— In exercise of the powers conferred by Sub section (4) of Section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act. 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the following draft of amendments in the Final Development Plan 2021AD Dadupur head works notified *vide* Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/Y-3/FDP/2007/3739, dated the 29th October, 2007 and published in the Haryana Gazette (Extra ordinary), dated the 29th October, 2007, for the information of all the persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendments shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by Director, Town and Country Planning Department, Haryana, S.C.O. No. 71-75 (Second to Third Floor), Sector-17 C, Chandigarh from any person with respect to the draft of the amendments, before the expiry of the period so specified.

Draft Amendment

In the Haryana Government, Town and Country Planning Department, Notification No. CCP(NCR)/Y-3/FDP/2007/3739, dated the 29th October, 2007,-

I. In Annexure- B,-

(1) under sub head II –"Definitions",-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

'(a) "approved" means approved by the competent authority;';

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ba) "Building Code" means, the Haryana Building Code 2016;'

(iii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

'(d) "Floor Area Ratio (FAR)"means a quotient obtained by dividing the total covered area of all floors, by the area of plot *i.e.*

$$FAR = \frac{\text{total covered area}}{\text{plot area}}$$

For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking

REAL ARCH
9467093464

and pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR;';

(iv) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

'(e)"Group Housing" means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;';

(v) in clause (q), after Explanation (2), the following explanation shall be added, namely:-

"(3) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area";

(vi) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

'(v) "Loft" means an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;';

(vii) for clause (w), the following clause shall be substituted, namely:-

'(w) "Mezzanine Floor" means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres above floor level;';

(2) under sub head VI "Sectors to be developed exclusively through Government Enterprises",- for the existing clauses (1) and (2), the following clause shall be substituted, namely:-

" Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.";

(3) under sub head VII, "Land Reservations for Major Roads", after clause (3) the following clause shall be added, namely:-

"(4)Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.";

(4) under sub head XI – "Minimum size of plots for various types of buildings", "in clause (2), for the words and figures "The minimum area under a group housing scheme will be 5 acres whether it form a part of licensed colony or it is developed independently.", the words and sign "The area norms for group housing colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential development.", shall be substituted;

(5) under Sub Head XIV – "Site coverage, height and bulk of building under various types of buildings", for the existing clause, the following clause shall be substituted, namely:-

"The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.";

(6) under sub head XV –"Building lines in front and rear of buildings", for the existing clause, the following clause shall be substituted, namely:-

"These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.";

(7) under sub head XVI- "Architectural control", for the existing clause, the following clause shall be substituted, namely:-

"Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 29 of Haryana Building Code 2016.";

S.S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

54849—C.S.—H.G.P., Chd.